



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक: एफ32(312)आ.उ./कल.अनु./कल.मैन्युअल/2010/पार्ट-II दिनांक: 07/10/14

Expression of Interest

राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए पात्र स्वयंसेवी संस्थाओं/कन्सल्टेन्ट्स से निम्नलिखित आर्टिजन/लघु उद्यम कलस्टर्स की डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (डीएस कम डीपीआर) आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	कलस्टर का नाम
1	अजमेर	मार्बल हैण्डीक्राफ्ट कलस्टर, किशनगढ़, अजमेर
2	राजसमंद	मीनाकारी कलस्टर, खमनौर, राजसमंद
3	भरतपुर	मार्बल मूर्तिकला कलस्टर, सीकरी, भरतपुर
4	पाली	मेहन्दी उद्योग कलस्टर, सोजत सिटी, पाली

स्वयंसेवी संस्थाएं/कन्सल्टेन्ट्स जिन्हें प्रोजेक्ट क्रियान्वयन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो एवं जिन्होंने विगत तीन वर्षों में प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन हेतु आवंटित कम से कम 10 लाख रु0 के फण्ड्स का उपयोग किया हो तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर/गतिविधियों पर वार्षिक व्यय विगत तीन वर्षों में औसतन 50 लाख रु0 तथा इनमें से किसी एक वर्ष में कम से कम 25 लाख रु0 हो, वे ही डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (डीएस कम डीपीआर) प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे। प्रारूप, कलस्टर मैन्युअल एवं पात्रता की अन्य शर्तें बेवसाइट www.rajcluster.com एवं www.rajind.rajasthan.gov.in एवं STPP Portal से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अपात्र संस्थाओं/कन्सल्टेन्ट्स की रिपोर्ट्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

स्वयंसेवी संस्थाएं/कन्सल्टेन्ट्स दिनांक 15.01.2015 को सायं 05.00 बजे तक कमरा नं. 312, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में मय समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीएस कम डीपीआर) प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयुक्त, उद्योग

आवेदन शुल्क—100 रु.
(कार्यालय में नकद/डी.डी. जमा करावें)

राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर्स की
डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप

- 1 स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट का नाम
- 2 कार्यालय का नाम
- 3 मुख्य कार्यकारी का नाम
 दूरभाष नं.
 मोबाइल नं.
 फैक्स नं.
 ईमेल
- 4 पंजीकरण संख्या
 - सोसाइटी रजि. एक्ट/ सहकारिता अधिनियम/ भारतीय कंपनी अधिनियम
 - फर्म पंजीयन
 - आयकर अधिनियम
 - सर्विस टैक्स नं.
(प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- 5 कलस्टर का नाम जिसकी डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

		वर्ष	विभाग	आवंटित राशि	उपयोग की गई राशि
6	वेगत तीन वर्षों में प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु आवंटित एवं उपयोग की गई राशि का विवरण	2011-12			
		2012-13			
		2013-14			
7	स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म में कार्यरत स्टॉफ का विवरण		नाम		योग्यता
8	स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म के पास उपलब्ध संसाधन का विवरण				
9	स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म द्वारा विगत दो वर्षों में दानदाताओं/लाभान्वितों/ जनसहयोग से जुटाई गई धनराशि का विवरण	वर्ष	नाम		राशि
10	स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म द्वारा क्रियान्वित प्रोजेक्ट्स का विवरण (प्रमाणपत्र संलग्न करें)	2012-13	प्रोजेक्ट का नाम		प्रोजेक्ट की लागत
11	प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट में दर्शाई गई प्रोजेक्ट लागत	2013-14	पूंजीगत	आयगत	कुल प्रोजेक्ट लागत
12	प्रस्तावित प्रोजेक्ट की अवधि एवं क्रियान्वयन की व्यूह रचना (टाइम मेट्रिक्स संलग्न करें)				

13 पात्रता को शता स बाध्यता क सबध म
शपथ—पत्र

(दस रु० मूल्य के नॉन—ज्यूडिशियल
स्टाम्प पर नौटरी से प्रमाणित संलग्न
करें)

14 अन्य विवरण जो आवश्यक है

- डीएस कम डीपीआर की
टेक्नीकल/डिजायनर एवं मार्केटिंग
एग्जीक्यूटिव की अप्रेजल रिपोर्ट
संलग्न करें
- बैंक से साख प्रमाण पत्र प्राप्त कर
संलग्न करें
- विगत तीन वर्षों की अंकेक्षित
बेलेन्स शीट संलग्न करें

नोट - आवेदन पत्र मय संलग्नकों के एक पृथक लिफाफे में एवं डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट
रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी सहित दूसरे पृथक लिफाफे में बंद कर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर क्लस्टर
का नाम लिफाफे पर अकित कर जमा करावे।

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी
स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म
मय नाम एवं संस्था की मोहर

शपथपत्र का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... उम्र वर्ष, जाति निवासी ... जो
कि (नाम) स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म में पद
पर कार्यरत हूं, शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि –

1. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एकट/सहकारिता अधिनियम/भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1950 एवं आयकर अधिनियम (आवश्यक होने पर) के तहत पंजीकृत है।
2. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त नहीं है।
3. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म की प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल में दो से अधिक निकट रिश्तेदार नहीं हैं।
4. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म गैर राजनीतिक एवं धर्मनिरपेक्ष है।
5. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है एवं इसने विगत तीन वर्षों में प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु आवंटित कम से कम 10 लाख रु० के फण्ड्स का उपयोग किया है।
6. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म का वार्षिक टर्नओवर/गतिविधियों पर व्यय वार्षिक राशि विगत तीन वर्षों में औसतन 50 लाख रु० तथा इनमें से किसी एक वर्ष में कम से कम 25 लाख रु० है।
7. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म को प्रोजेक्ट क्रियान्वयन का वर्ष का अनुभव है।
8. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म से मुख्य कार्यकारी के अतिरिक्त पूर्णकालिक एवं अशंकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं तथा स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म के पास प्रोजेक्ट क्रियान्वयन से संबंधित विषय विशेषज्ञ यथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मास्टर ट्रेनर, डिजायनर, तकनीकी विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिस्टेन्ट का पैनल एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है।
9. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म में दानदाताओं से सहयोग/लाभान्वितों से सहयोग/जनसहयोग जुटाने की पूर्ण क्षमता है।
10. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा है एवं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में इसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
11. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म में लेखा संधारण एवं मावन श्रम प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था है।
12. स्वयंसेवी संस्था/कन्सल्टेन्ट फर्म एग्रीमेंट निष्पादित करते समय नियमानुसार धरोहर राशि एवं अन्य शुल्क जमा कराने हेतु सहमति है।

13. स्वयंसेवी संस्था / कन्सल्टेन्ट फर्म संबंधित कलस्टर में अपना कार्यालय खोलने हेतु सहमत है।
14. स्वयंसेवी संस्था / कन्सल्टेन्ट फर्म डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हार्ड प्रति के साथ साफ्ट प्रति (सीडी) देने हेतु सहमत है।
15. स्वयंसेवी संस्था / कन्सल्टेन्ट फर्म संबंधित जिला उद्योग केन्द्र एवं मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना हेतु सहमत है।
16. स्वयंसेवी संस्था / कन्सल्टेन्ट 5 लाख रु. की बैंक गारन्टी देने हेतु सहमत है।
17. स्वयंसेवी संस्था / कन्सल्टेन्ट, डीएस कम डीपीआर की टेक्नीकल, डिजाइनर एवं मार्केटिंग एम्जीक्यूटिव की अप्रेजल रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सहमत है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथगृहिता

गवाह 1

2

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 उम्र वर्ष, जाति निवासी सत्यापित
 करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं
 एवं इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाये गये हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथगृहिता

**राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर्स की
डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु
स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट की पात्रता की शर्तें**

1. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/सहकारिता अधिनियम/भारतीय कंपनी अधिनियम, 1950 एवं आयकर अधिनियम (आवश्यक होने पर) के तहत पंजीकृत हो।
2. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म के मुख्यकार्यकारी अथवा प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त नहीं हो।
3. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म की प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल में 2 से अधिक निकट रिश्तेदार नहीं हो।
4. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।
5. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म की अर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो एवं इसने विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु आवंटित कम से कम 10 लाख रु0 के फण्ड्स का उपयोग किया हो।
6. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म का वार्षिक टर्नओवर/गतिविधियों पर व्यय वार्षिक राशि विगत 3 वर्षों में औसतन 50 लाख रु0 तथा इनमें से किसी एक वर्ष में कम से कम 25 लाख रु0 है।
7. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म को प्रोजेक्ट क्रियान्वयन का अनुभव हो।
8. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म के पास प्रोजेक्ट क्रियान्वयन से संबंधित विषय विशेषज्ञ यथायथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मास्टर ट्रेनर, डिजायनर, तकनीकी विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिस्टेन्ट का पैनल एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है।
9. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म में दानदाताओं से सहयोग/लाभान्वितों से सहयोग/जनसहयोग जुटाने की पूर्ण क्षमता है।
10. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा है एवं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में इसे ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।
11. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म में लेखा संधारण, अंकेक्षण एवं मानव श्रम प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था हो।
12. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म एग्रीमेन्ट निष्पादित करते समय नियमानुसार धरोहर राशि एवं अन्य शुल्क जमा कराने हेतु सहमत हो।
13. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म संबंधित कलस्टर में अपना कार्यालय खोलने हेतु सहमत हो।
14. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म डायग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट, रिपोर्ट की हार्ड प्रति के साथ सॉफ्ट प्रति (सीडी) देने हेतु सहमत हो।
15. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म संबंधित जिला उद्योग केन्द्र एवं मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देश की पालना हेतु सहमत हो।
16. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म 5 लाख रु0 की बैंक गारण्टी देने हेतु सहमत हो।
17. स्वयंसेवी संस्था/कंसल्टेन्ट फर्म डीएस कम डीपीआर की टेक्निकल, डिजायनर एवं मार्केटिंग एंजीक्यूटिव की अप्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सहमत हो।

- Technology in Nutrition
- Domestic marketing & Export
- Exploring Overseas opportunities
- Strengthening backward and forward links
- Developing R&D Market
- Networking and capacity building

The Basic Point to be included in
The Diagnostic Study cum Detailed Project Report
(DS cum DPR) of a cluster

Part: A

Cluster at a Glance

- Introduction
- Historical Evolution of the cluster
- Age of the cluster
- Major Turning Points
- The Background of the industry/Craft
- Production, Investment & Employment
- Infrastructure
- Social Status
- Organization Status of the cluster
- Total Number of units in the cluster
- Units selected for DCP interventions
- Process flow chart
- Major cluster actors
- Cluster mapping (Present and future cluster maps)
- Geographical location
- National and International Scenario

Part: B

Objectives & Methodology of Conducting Diagnostic Study

- Objective of the Diagnostic Study
- Methodology for conducting the Diagnostic Study

Part: C

Findings of the Diagnostic Study

- Production technology
- Technology of Machines
- Domestic marketing & Export
- Exploring Diversification opportunities
- Strengthening backward and forward linkages
- Developing BDS Market
- Networking and capacity building

Part: D

Analysis, Cluster vision and conclusion

- Industrial Craft Structure Analysis
- Value chain Analysis
- Technical Analysis
- SWOT Analysis
- Benchmarking
- Analysis of Business operations (Problems Identified)
- Reality Tree Analysis
- Cluster vision
- Conclusion

Part: E

Detailed Project Report with Action Plan and Implementation Strategy

- DPR with Action Plan
- Project Period
- Implementation Strategy
- Time Matrix (As per annexure – 5 of Cluster Manual)
- Brief Report of Validation Workshop

Part: F

Technical & Feasibility Report of CFC

(Only if CFC is required)

- Formation of SPV
- Requirement of Land
- Building Construction Estimates
- Machinery and equipment to be installed along with cost
- Man power requirement
- Water Harvesting system
- Facilities to be provided in CFC
- Details of utilities
- Running strategy
- Estimated income and expenditure of CFC for next 10 years
- When it will become self sustainable
- Total Project cost of CFC
- Source of Finance
- Exit Strategy
- Other informations as per serial No. 10 (8) of the Cluster
- Manual at www.rajcluster.com

Part: G

Exit strategy and flow up Plan

- Exit strategy
- Follow up Plan

Part: H

Enclosures

- Formats of Diagnostic Study
- List of enterprises/artisans contacted during diagnostic study
- BD Service Providers contacted during diagnostic study
- CD of DS cum DPR

Note:

1. DS cum DPR should also include the information of the base line survey as per the Cluster Manual at www.rajcluster.com.
2. Any other information which is needful and necessary as per the requirement of the cluster can be included in DS cum DPR.

Format for Action Plan for the Cluster Development

S. No.	Activities	Type of Activity	Objective	Time	Responsibility/ Likely Stakeholders	Funds required (Rs. in lacs)	Source of Fund	Beneficiary	Outcome Projection
							GOR	GOI	Cluster SPV Others

Document!